



संख्या-29 /2022/77-3002(003)/6/2022/001-1132

प्रेषक,

अनिल कुमार,  
संयुक्त सचिव,  
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
यूपीडा, पर्यटन भवन,  
गोमतीनगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 25 जुलाई, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड परियोजना के अनुरक्षण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 1096/यूपीडा/08/147 दिनांक 19.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड परियोजना के अनुरक्षण तथा परियोजना के अथारिटी इंजीनियर के देयक आदि के भुगतान किये जाने हेतु रू० 10000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड परियोजना में अनुदान सं०-07 के लेखाशीर्षक "5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03- राज्य राजमार्ग- 337- सड़क निर्माण कार्य- 03-आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे परियोजना का सुदृढीकरण-24 वृहद निर्माण कार्य ' हेतु कुल रू० 522.24 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2022-23 में आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड परियोजना के 05 निर्माणकर्ताओं को माह मार्च, 2022 तक के अनुरक्षण के भुगतान तथा परियोजना के अथारिटी इंजीनियर के देयक के भुगतान किया जा चुका है, माह अप्रैल, 2022 से माह जून, 2022 तक के अनुरक्षण के भुगतान तथा अथारिटी इंजीनियर के देयक आदि के भुगतान किये जाने अवशेष है।

I/193939/2022

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित **06** लेन एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष **2022-23** में अनुदान संख्या **07** के लेखाशीर्षक “**5054-** सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय **03-** राज्य राजमार्ग- **337-** सड़क निर्माण कार्य- **03-** आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित **06** लेन एक्सप्रेसवे परियोजना का सुदृढीकरण- **24** वृहद निर्माण कार्य ’ के अन्तर्गत **रु0 52224.00** लाख का बजट प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-**14/2022/001-480-77-2022** दिनांक **22.04.2022** द्वारा धनराशि **रु0 10000.00** लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी जिसका उपभोग किया जा चुका है। सम्प्रति निर्गत किये जाने हेतु धनराशि **रु0 42224.00** लाख अवशेष है। उक्त प्राविधानित अवशेष धनराशि **रु0 42224.00** लाख के सापेक्ष **रु0 10000.00** लाख (**रुपये एक अरब मात्र**) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

#### नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. धनराशि का आहरण यूपीडा के बैंक खाते में जमा की जायेगी।
  2. यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माणकर्ताओं को उनकी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
  3. यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय महालेखाकार कार्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
  4. यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा।
  5. धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त आय व्ययक अनुभाग- **1** के शासनादेश सं **0-13/2022/ बी- 1-454/ दस- 2022-231/2022** दिनांक **07.06.2022** में द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **1,00,00,00,000** ( रुपये एक अरब मात्र )

I/193939/2022

को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370300 आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस-वे परियोजना का सुदृढीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by अनिल कुमार

Date: 25-07-2022 15:06:37 (अनिल कुमार),

Reason: Approved

संयुक्त सचिव,

उ 0 प्र 0 शासन।

संख्या- /2022/77-3002(003)/6/2022/001-1132, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय उ 0 प्र 0 इलाहाबाद।
- 2-महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ 0 प्र 0 इलाहाबाद।
- 3-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4-निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5-निजी सचिव,अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग,उ 0 प्र 0 शासन।
- 6-वित्त (ई-6)/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 7-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 8-नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
- 9-गार्ड फावली।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार),

संयुक्त सचिव,

उ 0 प्र 0 शासन।